न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर०ए०एस०)

अपील संख्याः–263/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/263)

1. दौलत पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी तिलक नगर, मेयो कॉलेज के पीछे, गहलोतों की डूंगरी, धोलाभाटा अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
2. श्रीमती बीना पत्नी राजकुमार पुत्री मदनलाल जाति माली निवासी शांतिपुरा, वैशालीनगर, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. किशनलाल पुत्र सोलाल (फौत)
   1/1 श्योराज उर्फ कालू पुत्र किशन लाल
   1/2 राधादेवी पुत्री किशनलाल
   1/3 लाली पुत्री किशनलाल समस्त जाति माली निवासी–तिलक नगर, मेयो कॉलेज के पीछे गहलोतो की डूंगरी, धोला–भाटा, अजमेर।
2. रामपाल पुत्र लादूराम
3. श्रीमती प्रेमकंवर पत्नी मदनलाल
4. इंद्र पुत्र मदनलाल
   समस्त जाति माली निवासीगण तिलक नगर, मेयो कॉलेज के पीछे, गहलोतों की डूंगरी, धोलाभाटा, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
5. भैरूलाल पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी रामदेव विहार, कॉलोनी, गुलाबबाडी, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
6. बुध्दलाल पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी जगदम्बा, कॉलोनी, नयाघर, गुलाबबाडी, अजमेर तहसील व जिला अजमेर
7. श्रीमती मीरादेवी पत्नी पूरनसिंह जाति कोली निवासी शंकर नगर, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
8. श्रीमती सरोज पत्नी हेमराज सांवरिया जाति कोली निवासी म०न० 90/42, ज्योति कॉलोनी, धाननाडी, रोड़ भजनगंज, अजमेर तहसील व जिला अजमेर
9. श्रीमती सुनीता पत्नी रामपाल निवासी जगदम्बा कॉलोनी, गुलाबबाडी, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
10. देवकीनन्दन कांत पुत्र कन्हैयालाल जाति कोली निवासी म०न० 415/42, प्रोफेसर कॉलोनी, धोलाभाटा अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
11. श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी नरेशकुमार जाति कोली निवासी 1195/44, गांधीनगर धोलाभाटा, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
12. ललितकुमार पुत्र नाथूसिंह जाति कोली महावर निवासी 746/36 तेली मौहल्ला, वीर चौक गूजर धरती नगर, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
13. श्रीमती सुमनदेवी पत्नी भीमराज जाति माली निवासी रामनगर, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
14. श्रीमती लीलादेवी पत्नी रामगोपाल मालाकार जाति माली, निवासी मानजी कुमावत के मकान के पास, आजादनगर, मदनगंज किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
15. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, अजमेर
16. ताराचंद पुत्र मदनलाल जाति माली तिलक नगर मेयो कॉलेज के पीछे, गहलोतों की डूंगरी धोलाभाटा, अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 12/2018

उपस्थितः–

1. श्री भीयाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री अविनाश टांक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 व 12.
3. श्री सत्यनारायण सौलंकी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03.
4. श्री चेतन प्रकाश, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4, 15.
5. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2,5,6,9,10.
6. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 15.
7. रेस्पोडेंट संख्या 7,8,11,13 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–18.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस को जरिए सम्मन तलब किया। दौराने सुनवाई वाद दिनांक 25.2.2019 को प्रतिवादी/रेस्पोडेंटस सख्या 2,6,7,8,10,11,12 व 14 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज.काश्तकारी अधिनियम वास्ते उदघोषणा, स्थयी निषेधाज्ञ हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र में उदघोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार के तथ्य अंकित नहीं किये गये। वाद में विवादग्रस्त आराजी के विभाजन का अनुतोष चाहा है। कथन एवं अनुतोष दोनो ही एक–दूसरे के विपरीत होने से वाद चलने योग्य नही है। वाद पत्र के जरिये विक्रय पत्रों को शून्य करार दिये जाने का अनुतोष चाहा जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वादीगण/अपीलांटस ने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ ही एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें बंटवाडा हेतु रिलिफ तो लिखी लेकिन धारा नहीं लिखी इसलिए राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 के साथ धारा 53 सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को भी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से दर्ज किया जावे। वादीगण/अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 सोलाल का सजरा खानदान दर्शाते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण के संबंध का विवरण स्पष्ट कर दिया। वाद पत्र की चरण संख्या 2 व अनुतोष में प्रार्थना–पत्र में अंकित स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने प्रार्थी के आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रार्थना पत्र को अनिर्णित रख

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

अपने निर्णय दिनांक 5.7.2019 में यह अंकित कर कि वादीगण द्वारा विक्रय पत्रों को शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे हैं। वाद के समर्थन में किसी प्रकार का प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किए गए। वाद वास्ते उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया जबकि वादीगण अपीलांटस द्वारा अपने वाद–पत्र में घोषणा चाहने बाबत एक शब्द तक अंकित नहीं किया बल्कि वादग्रस्त आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन किए जाने का निवेदन किया है जबकि वादीगण अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के आज दिनांक तक खातेदार दर्ज नहीं है। जिससे वादीगण का वाद विरोधाभाषी होकर संधारण योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। वादीगण/अपीलांटस को सर्वप्रथम स्वयं को वादग्रस्त आराजी का खातेदारी घोषित करवाने के पश्चात ही वाद पत्र में अंकित अनुतोष वास्ते विभाजन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस के वाद पत्र को खारिज कर दिया। वादीगण/अपीलांटस का वाद पत्र खारिज किए जाने के साथ ही उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 5.7.2019 से धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना–पत्र को भी सारहीन करार देकर निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 7,8,11,13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष दिनांक 20.3.2018 को अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 1620, 1674, 1687, 1689, 1694, 1695, 1698 उक्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या 3 की सास अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 की दादी श्रीमती चौथी बाई पत्नी स्व0 बीजालाल एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 की माता श्रीमती उगमी बाई व प्रतिवादी संख्या 1 किशनलाल का बराबर–बराबर 1/3 हिस्सा है उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी है श्रीमती चौथीबाई का देहांत 13.12.1997 को हो गया उसके पति बीजालाल का देहांत उनकी मृत्यु से काफी वर्ष पूर्व हो गया है। श्रीमती चौथीबाई का एक मात्र पुत्र मदनलाल था जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का पिता व प्रतिवादी संख्या 3 का पति था जिसका देहांत भी दिनांक 14.10.2012 को हो गया श्रीमती चौथीबाई का अविभाजित 1/3 हिस्सा उसके देहांत के बाद उसके पुत्र मदनलाल में निहित हो गया व मदनलाल के देहांत के पश्चात अविभाजित 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के मध्य 1/3 का 1/5–1/5 प्रत्येक में बराबर–बराबर निहित हो गया श्रीमती उगमाबाई का देहांत दिनांक 24.12.2017 को हो जाने से श्रीमती उगमाबाई का अविभाजित 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 में निहित हो गया उपरोक्त आराजीयात का श्रीमती चौथीबाई मदनलाल व श्रीमती उगमाबाई के मध्य उनके जीवनकाल में विभाजन नहीं हुआ था तथा ना ही उनके देहांत के पश्चात उनके वारिसान के मध्य विभाजन

हुआ अर्थात विवादित सम्पूर्ण आराजीयात अविभाजित संयुक्त खातेदारी में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को विवादित भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन करने हेतु कहा तो इंकार हो गए साथ ही भूमि प्रतिवादी संख्या 6 से 16 को बिना विभाजन कराए विक्रय कर दिए जाने से व निर्माण कार्य करने पर आमादा हुए इस कारण वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पड रहा है अंत में वादीगण ने वाद डिक्री किए जाने का तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 16 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के द्वारा हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय किए गए विक्रयपत्रों को वादीगण के अधिकारों के प्रति शुन्य घोषित किए जाने की प्रार्थना के साथ अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालयों के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए वादीगण के पक्ष में पारित किया जाने का अनुतोष ही प्रदान करावे। दौराने सुनवाई वाद दिनांक 25.02.2019 को प्रतिवादी संख्या 2, 6, से 8, 10 से 12 व 14 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का यह कहकर प्रस्तुत किया कि उदघोषणा का वाद एवं विक्रय पत्र शुन्य घोषित करवाने का वाद उपखण्ड अधिकारी में नहीं चल सकता इसलिए अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे और उक्त प्रार्थना पत्र की अपीलांट को नकल दी गई जिसका जवाब अपीलांट के अधिवक्ता ने मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान वाद विधि के प्रावधानों के अनुसार सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार उपखण्ड अधिकारी को है क्योंकि अपीलांट के पूर्वज सोलाल जी थे जिनके तीन पुत्र क्रमशः किशनलाल के तीन पुत्र क्रमशः रामपाल, कालू उर्फ सोराज व मदनलाल है और अपीलांट मदनलाल के वारिसान है। लादूलाल के उगमा बाई उनकी पत्नि व रामपाल गोद पुत्र है और बीजालाल के चौथीबाई पत्नि व मदनलाल गोद पुत्र है। उक्त गोद के बाबत अपीलांट ने चौथीबाई का पहचान पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र लगान की रसीदे जिसमें मदनलाल पुत्र बीजालाल का नाम अंकित है इसलिए उक्त आराजी का अपीलांट राजस्व रिकार्ड में चौथीबाई के स्थान पर दुरूस्त करवाने के पूर्ण अधिकारी है व मदनलाल का फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जिसमें पिता का नाम बीजालाल अंकित है एवं अपीलांट के दादा किशनलाल पुत्र सोलाल व गोद की सहमति का शपथ पत्र आदि व बीजालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें मृत्यु की सूचना नगर निगम में पुत्र होने के नाते मदनलाल द्वारा दी गई। उक्त सभी दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए और उक्त वाद में रही कर्मियों को दूर करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों अनुसार अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया वादीगण द्वारा उक्त वाद अंतर्गतधारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट वास्ते उदघोषणा खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है वादपत्र में उदघोषणा खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार के तथ्य अंकित नहीं किए गए वाद में वादग्रस्त भूमि के विभाजन का अनुतोष चाहा कथन एवं अनुतोष दोनो एक-दूसरे के विपरीत होने से वाद चलने योग्य नहीं है। वाद-पत्र के जरिए विक्रयपत्रों को शुन्य करार दिए जाने का अनुतोष चाहा है जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है वादपत्र वादीगण व प्रतिवादीगण के संबंध का वर्णन किया है जिसके संबंध में प्रमाणित

पारिवारिक सजरा संलग्न नहीं किया गया है। श्रीमती चौथीबाई पत्नी बीजालाल का अपनी दादी होना अंकित किया है अर्थात मदनलाल जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का जाईन्दा पुत्र को चौथी बाई का दत्तक पुत्र बताने का प्रयास किया जिसके आधार पर चौथीबाई के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि का बंटवारा प्राप्त करने का अनुतोष चाहा है, जिसके संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वादी का वाद अपूर्ण व विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त किए जाने योग्य है। वादीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया वाद पत्र धारा 88, 188 के तहत प्रस्तुत किया है जिससे श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है वादीगण के वादपत्र प्रतिवादीगण के प्रतिवाद पत्र के आधार पर आवश्यक विवध्यक बिंदु कायम करने के बाद जो वादीगण की साक्ष्य ली जाएगी समस्त साक्ष्य प्रस्तुत कर वाद को सिद्ध करवाया जाएगा प्रतिवादीगण ने काल्पनिक आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में निहित प्रावधानों के तहत आराजी की उदघोषणा करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने, आराजी की उपयोग–उपभोग में दखल उत्पन्न करने पर अधिकारों की सुरक्षा हेतु वाद प्रस्तुत करने का पक्षकारान हकदार है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 प्रस्तुत किए जाने वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें बंटवारा हेतु रिलीफ तो लिखी लेकिन धारा अंकन नहीं लिखा इसलिए राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 के साथ धारा 53 सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से दर्ज किया जावे, लेकिन विचारणीय न्यायालय ने आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र को अनिर्णित रखकर दिनांक 5.7.2019 को क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर के प्रार्थना पत्र को स्वीकार लिया और वादी के वाद को जल्दबाजी में निर्णय कर खारिज कर दिया। विचारणीय न्यायालय ने आदेश 20 नियम 4(2) व आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों अनुसार निर्णय करना चाहिए थे और प्रतिवादी रेस्पोडेंट को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए लडना था तो वादपत्र का प्रतिवाद प्रस्तुत कर उसके आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम कर साक्ष्य वादीगण व प्रतिवादीगण लेकर के निर्णय पारित करना चाहिए था, इसलिए विचारणीय न्यायालय का आदेश विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बंटवारा आदि का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को ही है। इसलिए तृतीय अनुसूची जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दी गई है उसके अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषित कराने स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने अपीलांट के कब्जे में दखल नहीं करना आदि का भाग अंतर्गत धारा 88 एवं 188 जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 जो कि तृतीय अनुसूची अनुसार ऐसे याद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को प्राप्त है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को किसी भी प्रकार से तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलांट द्वारा उक्त आराजी के बाबत जो मांग की गई है वह खातेदारी घोषणा व सोलाल के वारिसों की आराजी के बंटवारे बाबत

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

है यदि कोई धारा लिखने से रह गई है तो उसको सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत अपीलांट के वाद को संशोधित भी किया जा सकता है क्योंकि रेस्पोडेंट द्वारा उक्त वाद में अभी किसी भी प्रकार का वादोत्तर एवं प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को अपीलांट के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत संशोधन कर रेस्पोडेंट को निर्देश देवें कि उक्त वाद का जवाब दावा प्रस्तुत कर अपीलांट के बाद एवं अपीलांट के वादोत्तर के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात के आधार पर अपीलांट की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य व रेस्पोडेंट की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित कया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2014 आरआरटी पार्ट 1 पेज 399, 2014 आरआरटी पार्ट 2 पेज 1076, 2012 आरआरटी पार्ट 2 पेज 1056, 2009 आरआरटी पार्ट 2 पेज 882, 2016 आरआरटी पार्ट 1 पेज 674, 2013 आरआरटी पार्ट 1 पेज 685, 2011 आरआरटी पार्ट 2 पेज 1395, 2005 आरआरटी पार्ट 1 पेज 310,233, 2006 आरआरटी पार्ट 1 पेज 633, 2018 आरआरटी पार्ट 1 पेज 31, 2018 डी0एन0जे पार्ट पेज 682, 2012 आरआरटी पार्ट पेज 1431, 2011 आरआरटी पार्ट पेज 98, 2017 आर0बी0जे पेज 230, 2018 आरआरटी पार्ट 1 पेज 584, 1982 आर0आर0डी0 पेज 111, 1971 एआईआर राज0 पेज 164, 2005 आरआरटी पार्ट 1 पेज 656, 2014–15(सप0) आर0आर0टी पेज 596, 1984 आर0आर0डी0 पेज 280, 2003 आरआरटी पार्ट 1 पेज 513.

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंटस ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने अपने वाद में अंकित धाराएं 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंकित कर वाद प्रस्तुत किया है लेकिन वादीगण ने अपने वाद पत्र में कहीं भी उदघोषणा खातेदारी प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार के तथ्य अंकित नहीं किए है बल्कि वादीगण द्वारा अनुतोष संख्या 1 में वादग्रस्त आराजी का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किए जाने का अनुतोष चाहा है जिससे वाद में बताए गए कथन एवं अनुतोष दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होने से वाद चलने योग्य नहीं होकर इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के अनुतोष संख्या 2 में विक्रय को शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है जिसका न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होकर उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित वाद होकर प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं होने से प्राथमिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य रिश्तेदारी/संबंध का वर्णन किया है लेकिन वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में कहीं भी उक्त पैरा में अंकित कथनों को साबित करने के लिए ना ही वाद पत्र के साथ कसी प्रकार का प्रमाणित पारिवारिक सजरा संलग्न किया है ना ही अपने वाद पत्र में किसी भी प्रकार का कोई सजरा अंकित किया है जिससे वाद पत्र में दर्शाए कथन प्रथम दृष्टया झूठे एवं कपोल कल्पित होने से वाद काबिल निरस्त योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

वादीगण ने वाद पत्र में चौथीबाई पत्नि बीजालाल को अपनी दादी होना अंकित किया है अर्थात मदनलाल जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का जायंदा पुत्र है को चौथीबाई का दत्तक पुत्र बताने का प्रयास किया है जिसके आधार पर चौथीबाई का दत्तक पुत्र बताने का प्रयास किया है जिसके आधार पर चौथीबाई के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि का बंटवारा प्राप्त करने का अनुतोष चाहा है जबकि वादीगण को सर्वप्रथम दस्तावेजी साक्ष्य एवं ठोस प्रमाण से स्वयं को चौथीबाई के विधिक वारिसान साबित करते हुए चौथीबाई के नाम दर्ज खातेदारी भूमि के बाबत उदघोषणा अधिकार प्राप्त करने होंगे जो वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में कहीं भी उदघोषणा खातेदारी हेतु अनुतोष नहीं चाहा है जिससे वादीगण का वाद अपूर्ण एवं विधि वर्जित होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है वर्तमान में वादीगण द्वारा चौथी बेवा बीजालाल के हक अधिकारों बाबत उक्त वाद प्रस्तुत किया है जिसमें स्वयं को चौथीलाल बीजालाल का उत्तराधिकारी होना बताया है लेकिन चौथी बेवा बीजालाल के नाम दर्ज आराजी का वे किस प्रकार से उत्तराधिकारी है यह साक्ष्य सबूतों द्वारा कही भी वाद पत्र मे साबित नहीं किया गया है केवल मौखिक एवं काल्पनिक कथनों एवं मनगढंत आधारों पर वादीगण ने स्वयं को चौथी बेवा बीजालाल का उत्तराधिकारी होना बताया है जो प्रथम दृष्टया ही संधारण योग्य नहीं होकर वाद इसी सतर पर काबिल निरस्त योग्य है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र निरस्त किया गया है जो विधि सम्मत है क्योंकि वाद पत्र विरोधाभासी कथनों पर आधारित होने से खारिज योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत खातेदारी उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, 6 लगायत 8, 10, 11, 12 व 14 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत निष्पादित विक्रय पत्रों को शून्य घोषित करवाने का अनुतोष करवाने का चाहा गया है उक्त अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किए जाने के कारण तथा उक्त अनुतोष राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादीगण खातेदार/काश्तकार नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंबित राजस्व वाद को अपने आदेश दिनांक 5.7.2019 को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान किया जबकि पत्रावली के साथ सलंग्न दस्तावेजों एवं दावे तथा जवाब प्रार्थना पत्र में इस वाद का विशेष रूप से अंकन किया गया है कि सोलाल जी के तीन पुत्र क्रमशः किशनलाल बीजालांल , लादूलाल और अपीलांट किशनलाल के पौत्र है, किशनलाल के तीन पुत्र क्रमशः रामपाल, कालू उर्फ सोराज एवं मदनलाल हैं। अपीलांट मदनलाल के वारिस है ;लादू लाल के उगमा बाई उनकी पत्नि व रामपाल गोदपुत्र है और बींजालाल के चौथी बाई पत्नि व मदनलाल गोदपुत्र है। अपीलांटस द्वारा चौथी बाई की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खातेदारी की घोषणा करवाकर उसका हक व हिस्सा अलग करवाने बाबत उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था इस प्रकार से वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात बाबत किसी प्रकार से संबंध एवं सरोकार है इस बात का निर्णय दावे एवं जवाबदावा प्राप्त करने के उपरांत तनकीयां निर्मित कर गवाहों के बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया जाना शेष हैं। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात बाबत उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य ग्रहण किए जाने के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात का निर्णय किया जाना चाहिए था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंबित राजस्व वाद आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के बिंदुओं बाबत तनकीयां निर्मित किए जाने के उपरांत सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायायल द्वारा वादी/अपीलांट के उक्त राजस्व वाद को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. को स्वीकार कर दिनांक 5.7.2019 को वाद पत्र को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया, जो कि न्याय संगत प्रतीत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2019 को निरस्त किया जाता है, तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष लंबित राजस्व वाद बाबत दावे एवं जबाव दावे तथा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 में वर्णित कथनों के आधार पर तनकीयां कायम कर तथा उक्त तनकीयां बाबत उभयपक्ष की साक्ष्य ग्रहण की जाकर पुनः नए सिरे से गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner